बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया

श्री कृष्ण नगर, पो0. नगरियॉवा, – बुनियादगंज, खिजरसराय, गया 823003

पत्रांक: जी.सी.ई. 312/2018 दिनांक 31/7/2018

कार्यालय आदेश

Sem – II एवं Sem – IV के कुछ छात्रों के बीच दिनांक 07.05.2018 को आन्तरिक परीक्षा की पहली पाली के उपरान्त कुछ अप्रिय घटना हुई । घटना के क्रम में उक्त दिनांक के प्रभारी प्रो0. जी0.एन0. शर्मा तथा कुछ शिक्षक गण माहौल को शांत करने गए थे, परन्तु इसी बीच द्वितीय वर्ष के छात्र प्रिन्स कुमार (16/C/03), देव राज (16/M/17) एवं रूपेश यादव (16/EEE/71) के द्वारा प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ झड़प के क्रम में परवीन कुमार (17/C/51) को कान पर चोट लगी ।

शिक्षकों द्वारा छात्रों को कुछ समय बाद शांत कराया जा सका । परवीन कुमार एवं प्रथम वर्ष के अन्य छात्रो ने कार्यालय को द्वितीय वर्ष के उपरोक्त छात्रों की शिकायत करते हुए संस्थान को अपना अभ्यावेदन समर्पित किया । साथ ही परवीन कुमार ने AICTE Anti ragging Cell को घटना की सूचना भी दर्ज की (Ref. ARCC/ER-4405 dt. 25-06-2018) जिसमें उसने द्वितीय वर्ष के छात्र प्रिंस कुमार (16/C/03) को अपने साथ हुए मार पीट के लिए मुख्य अभियुक्त बताया ।

लिप्त छात्रों (Sem II & Sem IV) के अभिभावको को दिनांक 28.05.2018 को दूरभाष पर घटना के संबंध में सुचित करते हुए अपने वार्ड के साथ उपस्थित होने को कहा गया था जिसमें द्वितीय वर्ष के छात्र प्रिंस कुमार (16/C/03), देव राज (16/M/17) एवं रूपेश यादव (16/EEE/71) के अभिभावक उपस्थित नहीं हुए । केवल आरोपी छात्र उपस्थित हुए

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में Disciplinary committee के अनुमोदन के उपरान्त Anti ragging Committee की बैठक दिनांक 04.07.2018 को आहुत की गई जिसमें लिये गए निर्णयों की सहमती अद्योहस्ताक्षरी से प्राप्त की गई जिसके उपरांत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के Memo No Vi Pra (II)-Baithak-15/20102634 Patna dated 27.10.11 के आलोक में निम्नलिखित कार्यालय आदेश निर्गत किया गया ।

क्र0. सं0.	छात्रों का नाम एवं क्रमांक	दोष की श्रेणी	दंड का नियम (वि0. प्रा0. वि0. बिहार सरकार)	Anti ragging Committee की अनुशंसा
01	प्रिंस कुमार (16/C/03)	AICTE द्वारा दोष :– Serious	3(IV)	पाँचवा सेमेस्टर में रोकते हुए एक बलैक डॉट
02	देव राज (16/M/17)	Minor	3 (IX)	एक ब्लैक डॉट देते हुए रू0. 10,000 का आर्थिक दंड
03	रूपेश यादव (16/EEE/71)	Minor	3 (IX)	एक ब्लैक डॉट देते हुए रू0. 10,000 का आर्थिक दंड
04	सिंद्धार्थ सिन्हा (17/EEE/03)	Minor	3 (IX)	एक ब्लैक डॉट देते हुए रू0. 10,000 का आर्थिक दंड
05	सुमन कुमार (17/CSE/68)	Minor	3 (IX)	एक ब्लैक डॉट देते हुए रू0. 10,000 का आर्थिक दंड
06	राहुल कुमार (17/C/21)	Minor	3 (IX)	एक ब्लैक डॉट देते हुए रू0. 10,000 का आर्थिक दंड
07	विकास कुमार (17/M/76)	Minor	3 (IX)	एक ब्लैक डॉट देते हुए रू0. 10,000 का आर्थिक दंड

Scanned by CamScanner

(Anti ragging Committee के निर्णय से असंतुष्ट छात्र निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना से अपील कर सकते है ।)

ह0./
विशेष कार्य पदाधिकारी
गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया

ज्ञापांक GCE 912/2018/ गया

दिनांक 31.7.2018

प्रतिलिपि :–

1. कुल पति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार, पटना ।
2. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना ।
3. परीक्षा विभाग, जी0.सी0.ई0., गया ।
4. प्रधान लिपिक, जी0.सी0.ई0., गया ।
5. सभी संबंधित छात्र, जी0.सी0.ई0., गया ।
6. ईचांर्ज कॉलेज वेबसाईट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

29/7/18

विशेष कार्य पदाधिकारी
गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया

Scanned by CamScanner